छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर

क्रमांक एफ 6–14 / 2015 / 20–तीन, नया रायपुर, दिनांक 18/09/2017

प्रति,

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी,
छत्तीसगढ़

विषय :– शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की अपेक्षानुसार शालाओं में कार्यरत शिक्षकों का व्यवसायिक प्रशिक्षण।

संदर्भ :– समसंख्यक विभागीय पत्र दिनांक 10.08.2017

––0––

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के माध्यम से अप्रशिक्षित शिक्षकों का NIOS द्वारा संचालित द्विवर्षीय पाठ्यक्रम में पंजीयन कराने के संबंध में विस्तृत दिशा–निर्देश जारी किये गये हैं। उक्त पाठ्यक्रम में पंजीयन कराने हेतु अवधि में वृद्धि कर अंतिम तिथि अब दिनांक 30.09.2017 नियत की गयी है। जिलेवार प्रगति का विश्लेषण करने से यह स्पष्ट होता है कि दिनांक 13.09.2017 की स्थिति में लगभग 70 प्रतिशत कार्य पूर्ण हुआ है।

निर्देश प्रसारित करने के उपरांत अब तक विभिन्न माध्यमों से प्राप्त सूचनाओं एवं आवेदनों के अनुक्रम में निम्नानुसार बिन्दु स्पष्ट किये जाते हैं :–

1. NIOS का वर्तमान द्विवर्षीय ऑनलाईन पाठ्यक्रम शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के पालन की दृष्टि से संचालित किया जा रहा है, अर्थात् यह पाठ्यक्रम उन शिक्षकों के लिए आवश्यक है, जो कक्षा 1 से कक्षा 8 तक अध्यापन कर रहे हैं। अर्थात् हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों में अध्यापनरत नियमित व्याख्याता / व्याख्याता (पं.) / व्याख्याता नगरीय निकाय हेतु उक्त पाठ्यक्रम में पंजीयन कराना आवश्यक नहीं है। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि व्याख्याता / व्याख्याता (पं.) / व्याख्याता नगरीय निकाय हेतु अनिवार्य व्यावसायिक योग्यता B.Ed. निर्धारित है तथा उनके लिए यह योग्यता प्राप्त करने हेतु अवधि का निर्धारण भर्ती नियमों एवं नियुक्ति की प्रकिया के अंतर्गत पृथक से किया गया है।

2. ऐसे शिक्षक जो स्नातक योग्यताधारी हैं तथा जो एक वर्ष के B.Ed. पाठ्यक्रम की योग्यता धारित करते हैं, के लिए यदि वे प्राथमिक स्तर (कक्षा 1 से 5) में अध्यापन हेतु नियुक्त हैं, अर्थात् सहायक शिक्षक / सहायक शिक्षक (पं.) / सहायक शिक्षक नगरीय निकाय के पद पर कार्यरत हैं, के लिए द्विवर्षीय D.El.Ed. पाठ्यक्रम में पंजीयन कराना अनिवार्य नहीं है। ऐसे शिक्षकों को NCTE द्वारा मान्यता प्राप्त 06 माह का सर्टिफिकेट कोर्स पूर्ण करना आवश्यक

होगा। ऐसे सर्टिफिकेट कोर्स में पंजीयन हेतु NIOS द्वारा पृथक से पंजीयन व्यवस्था व समय–सारणी जारी की जाएगी।

3. ऐसे शिक्षक जो अनिवार्य व्यावसायिक योग्यता धारित नहीं करते हैं तथा जो दिनांक 31.03.2019 तक सेवानिवृत्त होने वाले हैं, हेतु D.El.Ed. पाठ्यक्रम में निर्धारित समय सीमा में पंजीयन कराना अनिवार्य है।
4. ऐसे शिक्षक जिनकी सहायक शिक्षक/सहायक शिक्षक (पं.)/सहायक शिक्षक नगरीय निकाय के पद पर अनुकम्पा नियुक्ति की गयी है, उनके लिए भी निर्धारित समय सीमा में D.El.Ed. पाठ्यक्रम में पंजीयन कराना अनिवार्य है।
5. ऐसे शिक्षक जो D.Ed. की निर्धारित व्यावसायिक योग्यता धारित करते हैं, परन्तु जिनका 12वीं कक्षा में प्राप्तांक प्रतिशत, 50 प्रतिशत से कम है, को दिनांक 31.03.2019 तक NIOS में 12वीं कक्षा में परीक्षा हेतु पंजीयन कराकर प्राप्तांकों में सुधार कराना आवश्यक है। साथ ही ऐसे शिक्षक जो D.El.Ed. पाठ्यक्रम हेतु पंजीयन करा रहे हैं, परन्तु जिनका 12वीं कक्षा में 50 प्रतिशत से कम प्राप्तांक हैं, उन्हें भी 12वीं कक्षा में प्राप्तांकों में सुधार हेतु NIOS के पोर्टल पर पंजीयन कराना अनिवार्य है।
6. राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के अधिसूचना कमांक फा.सं. 61–03/2010/एनसीटीई (एन एंड एस), दिनांक 23.08.2010 की कंडिका 4(ग) के अनुसार ऐसे शिक्षक, जिनकी नियुक्ति 03 सितम्बर 2001 के पूर्व की गयी है तथा जो तत्समय प्रचलित भर्ती नियमों में निर्धारित शैक्षणिक एवं व्यावसायिक योग्यता धारित करते हों, को अनिवार्य योग्यता प्राप्त करने से छूट प्राप्त है। अतः उक्त तिथि के पूर्व नियुक्त ऐसे शिक्षकों को D.El.Ed. पाठ्यक्रम हेतु पंजीयन कराना अनिवार्य नहीं है।
7. ऐसे शिक्षक, जिन्होंने NIOS के द्विवर्षीय D.El.Ed. पाठ्यक्रम के समतुल्य किसी अन्य पाठ्यक्रम में 10 अगस्त, 2017 के पूर्व ही प्रवेश प्राप्त कर लिया था एवं वे उस पाठ्यक्रम में अध्ययनरत हैं, के लिए भी D.El.Ed. पाठ्यक्रम में पंजीयन कराना आवश्यक नहीं है। तथापि ऐसे शिक्षकों को अपने पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक दिनांक 31.03.2019 तक पूर्ण करना आवश्यक होगा।

उक्त बिन्दुओं पर दिये गये स्पष्टीकरण से सभी शासकीय, अशासकीय संस्थाओं को तत्काल अवगत कराएं तथा जिले में कार्यरत ऐसे समस्त अप्रशिक्षित शिक्षक, जिन्हें D.El.Ed. पाठ्यक्रम पूर्ण कराना आवश्यक है, का पंजीयन नियत तिथि 30.09.2017 तक पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

18/9/17

(विकास शील)
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

पृ. क्रमांक एफ 6–14/2015/20–तीन, नया रायपुर, दिनांक 18/09/2017

प्रतिलिपि :–

1. निज सचिव, माननीय मंत्रीजी, छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर, छ.ग. को सूचनार्थ।
2. अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर को सूचनार्थ।
3. विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर,
4. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, इंद्रावती भवन, नया रायपुर,
5. संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, शंकर नगर, रायपुर
6. समस्त कलेक्टर, छत्तीसगढ़,

को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु।

18/9/17

सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग